

[2024] 2 एस. सी. आर 722: 2024 आईएनएससी 131

रवींद्र कुमार

बनाम

उ.प्र. राज्य और अन्य

(सिविल अपील संख्या 5902/2012)

22 फरवरी 2024

[न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन]

विचारार्थ मुद्दा

रोजगार के सत्यापन प्रपत्र में एक आपराधिक मामले (जिसमें अभ्यर्थी को बरी कर दिया गया था) का खुलासा नहीं किया गया था। राज्य ने अपीलकर्ता के चयन को रद्द कर दिया। क्या अपीलकर्ता के चयन को रद्द करने में राज्य उचित था?

हेडनोट

सेवा कानून- भर्ती- चयन- सत्यापन में आपराधिक मामले का खुलासा न करना- अपीलकर्ता ने सिपाही के पद के लिए आवेदन किया- आवेदन जमा करने के बाद, वह एक आपराधिक मामले में फंसा हुआ था- उसने परीक्षा उत्तीर्ण की- आपराधिक मामले में, अपीलकर्ता को बरी कर दिया गया था- चुने जाने के बाद, अपीलकर्ता ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि उसके खिलाफ कभी कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया था - उसका चयन दिनांक 12.04.2005 के पत्र के माध्यम से रद्द कर दिया गया था क्योंकि अपीलकर्ता ने अपराध को छुपाया था और गलत शपथ पत्र दाखिल किया था:

अभिनिर्धारित किया: आवेदन की तारीख को कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं था और आवेदन पत्र में कोई छिपाव नहीं था- आपराधिक मामले को देखने के बाद सत्यापन दस्तावेजों में और बाद में दोषमुक्ति में कहा गया कि उसका चरित्र अच्छा था, उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली और उसकी सामान्य प्रतिष्ठा अच्छी थी- एसएचओ, जिसने रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु को दोहराने के बाद पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट भेजी, ने पाया कि अपीलकर्ता को बरी कर दिया गया था और कोई अपील दायर नहीं की गई थी- एसएचओ ने अभ्यर्थी के चरित्र को उत्कृष्ट के रूप में प्रमाणित किया और वह राज्य सरकार के अधीन सरकारी सेवा करने के योग्य था- पुलिस अधीक्षक ने कमांडेंट को लिखे अपने पत्र में रिपोर्ट का समर्थन किया और दोहराया कि अभ्यर्थी का चरित्र उत्कृष्ट था- वर्तमान मामले में, नियुक्ति प्राधिकरण ने यांत्रिक रूप से चयन को अनियमित और अवैध माना है क्योंकि

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अपीलार्थी ने गलत तथ्यों के साथ एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया था – सतीश चंद्र यादव के पैरा 93.7 में निर्धारित व्यापक सिद्धांतों को लागू करने पर, दिनांक 12.04.2005 का रद्दीकरण आदेश न तो उचित है और न ही तर्कसंगत है – भर्ती अधिसूचना के खंड 9 (अर्थात् यदि अभ्यर्थी द्वारा हलफनामे में कोई तथ्य छिपाया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द करने योग्य है) को सर्वोच्च न्यायालय के मामलों में निर्धारित कानून के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए – प्रत्येक गैर-प्रकटीकरण को अयोग्यता के रूप में व्यापक रूप से समझना अन्यायपूर्ण होगा और यह जमीनी हकीकत से पूरी तरह अनभिज्ञ होने के समान होगा – प्रत्येक मामला उसमें मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और अदालत को उपलब्ध पूर्व-निर्णयों को मार्गदर्शक के रूप में देखते हुए, वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा – इस प्रकार, 12.04.2005 का आदेश रद्द और अपास्त किया जाता है – प्रत्यर्थियों को कांस्टेबल के पद पर अपीलकर्ता को सेवा में नियुक्त करने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 29 और 30]

उद्धृत केस कानून

पुलिस आयुक्त और अन्य बनाम संदीप कुमार, [2011] 3 एससीआर 964: (2011) 4 एससीसी 644; पवन कुमार बनाम भारत संघ और अन्य, [2022] 7 एससीआर 928: (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 532; मोहम्मद इमरान बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (2019) 17 एससीसी 696; सतीश चंद्र यादव बनाम भारत संघ और अन्य, [2022] 10 एससीआर 537: (2023) 7 एससीसी 530 – पर अवलम्ब लिया गया।

पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु, मायलापुर बनाम जे. रघुनीस, (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 1379 – अंतर किया गया।

अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य, [2016] 7 एससीआर 445: (2016) 8 एससीसी 471 – संदर्भित।

राम कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, [2011] 10 एससीआर 506: (2011) 14 एससीसी 709; मॉरिस बनाम क्राउन ऑफिस, (1970) 2 क्यूबी 114 – संदर्भित।

मुख्य शब्दों की सूची

सेवा कानून; भर्ती; चयन; रोजगार; आपराधिक मामले का खुलासा न करना; रोजगार में सत्यापन; वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर समग्र दृष्टिकोण।

निम्न मामले से उत्पन्न

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5902/2012

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

एसए संख्या 896/2005 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 29.10.2010 के निर्णय और आदेश से,

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्तागण पी. चौधरी, सौरभ अजय गुप्ता, निशांत बिश्रोई, सुश्री सृष्टि प्रभाकर, अंकित चौधरी, आर. के. सिंह, निवेदिता सिंह।

प्रत्यर्थियों की ओर से अधिवक्तागण सुश्री गरिमा प्रसाद, ए.ए.जी., सुश्री रुचिरा गोयल।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन,

1. परेशान करने वाला सवाल फिर से आ गया है। क्या यह एक तय और निश्चित नियम है कि, सभी परिस्थितियों में, सत्यापन प्रपत्र में एक आपराधिक मामले (जिसमें अभ्यर्थी को बरी कर दिया जाता है) का खुलासा न करना अभ्यर्थी के रोजगार के लिए घातक है? हम ऐसा नहीं सोचते हैं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। सौभाग्य से, हमारे विचार का समर्थन करने के लिए हमारे पास विभिन्न न्यायिक निर्णय हैं। प्रत्येक मामला विशेष तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। हमने लागू पूर्व-निर्णयों का विश्लेषण करने का प्रयास किया है और उन मामलों का अनुसरण किया है, जो मौजूद तथ्यों से काफी हद तक मिलते-जुलते हैं।

मामले के तथ्य:

2. रवींद्र कुमार (अपीलार्थी) ने 12.02.2004 को सिपाही के पद के लिए आवेदन किया। उनका रिकॉर्ड बेदाग था। आवेदन जमा करने के पाँच दिन बाद, यानी 17.02.2004 को, वह भारतीय दंड संहिता, 1860 ("आईपीसी") की धारा 324, 352 और 504 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एक आपराधिक मामले में फंसा हुआ था, जिसके बारे में वह दावा करता है कि यह एक झूठा मामला था। उन्होंने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पास किया। इससे पहले उन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा भी पास की थी।

3. इस बीच, आपराधिक मामले ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया क्योंकि दिनांक 13.09.2004 के फैसले से अपीलकर्ता को बरी कर दिया गया था। उस आपराधिक विचारण में, सूचनादाता पीडब्लू-1 श्रीकांत, जो अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता और विजेन्द्र, ईश्वर दयाल और राधे श्याम द्वारा कथित रूप से पहुंचाई गई चोटों के कारण घटना में कथित रूप से घायल हो गया था, मुकर गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सूचनादाता के पुत्र, पी.डब्लू-2 राम गुलाम, जिसके साथ आरोपी पक्ष झगड़ रहा था, जब तक कि पी.डब्लू-1 श्रीकांत ने हस्तक्षेप नहीं किया और वह कथित रूप से शारीरिक हमले का शिकार नहीं हो गया, वह भी अपने बयान से पलट गया। राम गुलाम ने स्पष्ट रूप से गवाही दी कि वह किसी भी आरोपी की पहचान नहीं कर सके। गवाहों ने यह भी कहा कि दारोगा जी (स्टेशन हाउस ऑफिसर) ने उनका बयान दर्ज नहीं किया। जिरह में, उन्होंने यह भी कहा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कि घटना में एक बड़ी भीड़ थी और इस तरह वे हमलावरों की पहचान नहीं कर सके। जहां तक आईपीसी की धारा 504 का संबंध है, जो शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान से संबंधित है, दोनों पक्षों ने एक समझौता ज्ञापन दाखिल किया है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।

4. अपीलकर्तार्थी को, चुने जाने के बाद, आपराधिक पृष्ठभूमि, यदि कोई हो, का खुलासा करते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था। अपीलकर्तार्थी ने 30.10.2004 को शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ साथ कहा कि उनके खिलाफ कभी भी कोई आपराधिक मामला, संज्ञेय या गैर-संज्ञेय, दर्ज नहीं किया गया है।

5. इसके बाद, उन्हें प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करने के लिए कहा गया और जब उन्होंने रिपोर्ट किया, तो उन्हें इस आधार पर प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा गया कि चरित्र सत्यापन लंबित था। इसके बाद, 12.04.2005 को, उन्हें उनका चयन रद्द करते हुए निम्नलिखित पत्र दिया गया:

“यह सूचित करना है कि आपको परीक्षा के बाद चयन समिति, 8 वीं बटालियन पीएसी, बरेली द्वारा भर्ती कांस्टेबल पीएसी के पद पर चुना गया है। चयन के बाद, आपने दिनांक 30.10.2004 का शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें आपने उल्लेख किया है कि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला /मामला, संज्ञेय या गैर-संज्ञेय, कभी दर्ज नहीं किया गया है और आपके खिलाफ कोई चालान और पुलिस शपथ पत्र लंबित नहीं है। आपके गृह जिले देवरिया के पुलिस अधीक्षक से आपके चरित्र का सत्यापन होने पर, यह तथ्य सामने आया है कि आपके विरुद्ध थाना गौरी बाजार, जिला देवरिया में अपराध संख्या 95/04 धारा 324/504 व 352 आईपीसी पंजीकृत किया गया था, जिसमें दिनांक 13.09.2004 को आपको प्रश्रुत आरोप से मुक्त कर दिया गया।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि आपने उपरोक्त अपराध को छुपाया है और झूठा शपथ पत्र दाखिल किया है। इसलिए, गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करने के कारण, पीएसी में भर्ती कांस्टेबल के पद पर आपका चयन रद्द कर दिया जाता है।”

6. विभाग का मामला यह था कि, दिनांक 20.01.2004 की भर्ती अधिसूचना के खंड 9 के तहत, यदि अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र में कोई तथ्य छुपाया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द किए जाने के लिए दायी है। खंड 9, प्रासंगिक होने के कारण, यहाँ नीचे दिया गया है:

“9. चरित्र सत्यापन:

उपरोक्त योग्य पाए गए सभी अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन उस समय प्रचलित सरकारी नियमों के अनुसार किया जाएगा। चरित्र सत्यापन में, योग्य अभ्यर्थियों को एक सार्वजनिक नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र का प्रारूप चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में अंतिम रूप से चुने गए अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा। यदि चरित्र सत्यापन या किसी अन्य माध्यम से यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

द्वारा तथ्यों को छुपाया गया है, तो न केवल अभ्यर्थी का चयन रद्द किया जाएगा, बल्कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। शपथ पत्र में गलत तथ्यों का उल्लेख किए जाने या निर्धारित आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करने के कारण चयन रद्द होने की स्थिति में किसी भी अभ्यर्थी/व्यक्ति/संगठन को किसी भी अदालत में विरोध करने का अधिकार नहीं होगा।”

7. शपथ पत्र के कई खंड अर्थात् खंड 4,5,6,7 और 11, जिन्हें 30.10.2004 को सत्यापित किया गया है, निम्नानुसार हैं:

“4. यह कि मेरी जानकारी में, मेरे खिलाफ कभी कोई आपराधिक मामला/मामला (संज्ञेय या गैर-संज्ञेय) दर्ज नहीं किया गया है, न ही पुलिस ने मुझे ऐसे किसी आपराधिक मामले में चालान किया है, न ही मेरे खिलाफ कोई पुलिस जांच लंबित है।**नहीं।**

5. कि मुझे कभी भी किसी आपराधिक मामले (संज्ञेय या गैर-संज्ञेय) में गिरफ्तार नहीं किया गया है और न ही मैंने कभी ऐसे किसी आपराधिक मामले में आत्मसमर्पण किया है। **नहीं।**

6. कि जो आपराधिक मामले मेरे खिलाफ दर्ज किए गए हैं या जिनमें मेरा चालान किया गया है या जो मेरे खिलाफ अदालत में या पुलिस द्वारा जांच के अधीन लंबित थे/हैं, उनका विवरण इस प्रकार है (यदि जानकारी शून्य है तो 'शून्य' लिखें)

7. कि किसी भी अदालत में मेरे खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का विवरण और जिसमें मुझे दंडित किया गया था या बरी कर दिया गया था या आरोपमुक्त कर दिया गया था, निम्नानुसार हैं (यदि जानकारी शून्य है तो 'शून्य' लिखें) **शून्य**

11. कि यदि आवेदन में उल्लिखित कुछ भी गलत पाया जाता है या तथ्यों को छिपाया जाता है और यदि मुझे तुरंत उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा से बिना शर्त बर्खास्त कर दिया जाता है और वैधानिक सजा भी दी जाती है, तो यह मुझे स्वीकार होगा।”

8. इस बीच, पुलिस सत्यापन जारी रहा। 09.12.2004 को, पुलिस स्टेशन, गौरी बाजार, जिला देवरिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि जबकि अपराध संख्या 95/2004 में एक मामला अभ्यर्थी के खिलाफ आईपीसी की धारा 324, 352 और 504 के तहत दर्ज किया गया था, अभ्यर्थी को दोषमुक्ति किया गया था और बरी करने के आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई थी। इसके अलावा, किसी भी अदालत में कोई अन्य मामला लंबित नहीं था और न ही अभ्यर्थी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कोई मामला दर्ज किया गया था। एसएचओ ने आगे इस प्रकार उल्लेख किया:

“अभ्यर्थी का चरित्र उत्कृष्ट है। मेरी सहमति के अनुसार अभ्यर्थी राज्य सरकार के तहत सरकारी सेवा करने का पात्र है।”

इसके अलावा, ग्राम प्रधान ने उनके द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र में अपीलकर्तार्थी के "उत्कृष्ट" चरित्र का भी समर्थन किया। ग्राम प्रधान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र इस प्रकार है:—

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

“चरित्र प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित है कि रवींद्र कुमार पुत्र स्वर्गीय परदेसी प्रसाद, गाँव बागापर, पोस्ट कटोरा, पुलिस स्टेशन गौरी बाजार, जिला देवरिया (उत्तर प्रदेश) का स्थायी निवासी है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता और पहचानता हूँ। उनका चरित्र उत्कृष्ट है। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

हस्ताक्षर और मुहर

ग्राम प्रधान "

9. इसके बाद, 10.12.2004 को, देवरिया के पुलिस अधीक्षक ने पुलिस स्टेशन, गौरी बाजार, जिला देवरिया की रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए, कमांडेंट, 8 वीं बटालियन, पीएसी, बरेली को सूचित किया कि, उनकी राय में, अभ्यर्थी राज्य सरकार के अधीन सरकारी सेवा करने के योग्य था। 10.12.2004 दिनांकित पत्र के प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है—

“... अभ्यर्थी का चरित्र उत्कृष्ट है। इसलिए, अभ्यर्थी श्री रवींद्र कुमार पुत्र श्री परदेसी राम निवासी बागापर, पोस्ट कटोरा, पुलिस स्टेशन गौरी बाजार, जिला देवरिया राज्य सरकार के अधीन सरकारी सेवा करने के लिए पात्र हैं।”

10. उ.प्र. राज्य ने दिनांक 12.04.2005 के रद्द करने के पत्र के समर्थन में, पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी की ओर से कमांडेंट, 8 वीं बटालियन, पीएसी को लिखे गए दिनांक 31.12.2004 के पत्र पर अवलम्ब लिया है, जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता और दो अन्य लोगों के मामलों के संबंध में, जिन्हें चरित्र सत्यापन के दौरान आपराधिक मामलों में बरी पाया गया था और जिन्होंने शपथ पत्र में उन मामलों के तथ्य का उल्लेख नहीं किया था, यह सुनिश्चित किया जाना था कि उन अभ्यर्थियों के खिलाफ झूठे शपथ पत्र जमा करने के संबंध में नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए। राज्य ने पीएसी बटालियन, उ.प्र. के सभी कमांडेंटों को पुलिस महानिरीक्षक द्वारा 07.01.2005 के एक पत्र को भी अभिलेख पर रखा है जिसमें कहा गया है कि गलत शपथ पत्र जमा करने के संबंध में, जारी किए गए निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। जिन अभ्यर्थियों ने शपथ पत्र में अपने खिलाफ दर्ज आरोपों से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया था, उनके मामलों में अपने विवेक और सरकारी आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

11. राज्य ने “चरित्र सत्यापन का प्रपत्र” भी अभिलेख पर रखा है जिसमें कहा गया है कि किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति से पहले चरित्र और पूर्ववृत्त को सत्यापित करना आवश्यक था। यदि पात्र पाया जाता है तो सत्यापन प्राधिकरण को सीधे रिपोर्ट करना था। यदि अभ्यर्थी रिपोर्ट के अनुसार अयोग्य है तो रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जानी थी। जिला मजिस्ट्रेट को अभ्यर्थी को बुलाना था और उनका बयान दर्ज करना था और अपनी राय लिखनी थी कि वह अभ्यर्थी के बारे में क्या विचार करते हैं और अभ्यर्थी का बयान भी भेजना था। संलग्न नोट में, यह भी बताया गया था कि, यहां तक कि दोषसिद्धि में भी अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र देने से इनकार करना आवश्यक नहीं है। दोषसिद्धि की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और यदि उनमें कोई नैतिक अधमता सम्मिलित नहीं है या वे हिंसा के अपराधों से अथवा किसी ऐसे आंदोलन से संबद्ध नहीं हैं जिसका

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उद्देश्य भारत संघ में विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसक तरीकों से उखाड़ फेंकना है, तो केवल दोषसिद्धि को अयोग्यता नहीं माना जाना चाहिए। चरित्र सत्यापन के प्रारूप के खंड 4 में भी इसका उल्लेख निम्नानुसार किया गया है:-

“4. यह भी अनुरोध किया जाता है कि सरकारी नौकरियों के लिए अभ्यर्थियों के आचरण के संबंध में निम्नलिखित सामान्य नियमों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

सीधी नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह उस सेवा या पद में रोजगार के लिए हर तरह से उपयुक्त हो, जिसमें उसे नियुक्त किया जाना है। यह नियुक्ति प्राधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह इस बिन्दु पर खुद को संतुष्ट करे।”

उच्च न्यायालय में कार्यवाही:-

12. चयन रद्द करने के 12.04.2005 दिनांकित पत्र से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट याचिका संख्या 39418/2005 दायर की। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसकी ओर से कोई जानबूझकर कुछ छिपाया नहीं गया था क्योंकि उसे आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने 16.05.2005 के निर्णय द्वारा रिट याचिका को यह मानते हुए खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता ने फॉर्म भरते समय एक आपराधिक मामले में अपनी संलिप्तता के संबंध में सारवान जानकारी को छिपा लिया है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आपराधिक मामले में उसकी संलिप्तता की बाद में दोषमुक्ति से उसे इस तथ्य से निर्मुक्त नहीं किया जाएगा कि उसने सारवान जानकारी को छिपा लिया था।

13. अपीलकर्ता ने एकल न्यायाधीश के फैसले से व्यथित होकर विशेष अपील संख्या 896/2005 दायर की। खण्ड पीठ ने दिनांक 29.10.2020 के आक्षेपित निर्णय के माध्यम से विशेष अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यदि कोई व्यक्ति नामांकन के समय झूठे शपथ पत्र की शपथ लेता है, तो वह अनुशासित सेवा में नामांकित होने के योग्य नहीं है। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि स्वयं से झूठे शपथ पत्र की शपथ लेने का कार्य एक ऐसा कार्य है, जो व्यक्ति के आचरण और चरित्र को बताता है। नियोक्ता से सारवान जानकारी को छिपाना मामले में बाद में दोषमुक्ति से सही नहीं साबित होता है। इसके अलावा, नियुक्ति प्राधिकरण को आपराधिक मामले में आरोपों, विचारण में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और उन कारणों के विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं थी जिनके लिए आपराधिक अदालत ने अभ्यर्थी को दोषी ठहराया था या बरी कर दिया था।

14. दिनांक 29.10.2010 के निर्णय से व्यथित होने के कारण, अपीलकर्ता वर्तमान अपीलकर्ता में हमारे समक्ष आया है।

तर्क:-

15. हमारे समक्ष अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमाशीष चौधरी ने तर्क दिया कि कोई जानबूझकर छिपाने की बात नहीं थी; यह कि 12.02.2004 को आवेदन पत्र जमा करने के समय, अपीलकर्ता के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं था; और उस स्तर पर कोई शपथ पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी। अपीलकर्ता को आपराधिक मामले में 13.09.2004 यानी 30.10.2004 को अपना शपथ पत्र दाखिल करने से

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

बहुत पहले बरी कर दिया गया था। चूँकि शपथ पत्र दाखिल करने के समय कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं था, इसलिए अपीलकर्ता को पूरा विश्वास था कि खुलासा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आगे यह तर्क दिया जाता है कि धोखा देने का कोई इरादा नहीं था।

16. दूसरी ओर, राज्य की विद्वान अपर महाधिवक्ता सुश्री गरिमा प्रसाद और विद्वान स्थायी अधिवक्ता सुश्री रुचिरा गोयल ने तर्क दिया है कि अपीलकर्ता ने अपने हलफनामे के खंड 4, 5, 6 और 7 में गलत बयान दिया है। इसके अलावा, अपीलकर्ता के साथ-साथ दो अन्य व्यक्तियों, जिनके बारे में पाया गया था कि उन्होंने गलत बयान दिया था, को भी रद्द करने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, **अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य, (2016) 8 एससीसी 471**, विशेष रूप से, पैरा 38.1, 38.2, 38.3 और 38.11 के मामले में इस न्यायालय के फैसले द्वारा वर्तमान मामला राज्य के पक्ष में आता है।

विचार के लिए प्रश्न:-

17. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, विचार के लिए जो प्रश्न उठते हैं वे हैं:-

- i. क्या राज्य द्वारा अपने 12.04.2005 के आदेश के अनुसार अपीलकर्ता के चयन को रद्द करना उचित था?
- ii. अपीलकर्ता किस राहत, यदि कोई हो, का हकदार है?

चर्चा और परिणाम:-

18. जैसा कि तथ्यों से पता चलता है, स्वीकार किया जाता है कि 12.02.2004 को, जब अपीलकर्ता ने सिपाही के पद के लिए आवेदन किया था, तो कोई आपराधिक मामला दर्ज या लंबित नहीं था। आवेदन जमा करने के पाँच दिन बाद, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक आपराधिक मामले में फंसा हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप विचारण न्यायालय ने दिनांक 13.09.2004 के आदेश के अनुसार दोषमुक्ति किया और उसके खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई थी। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि दिनांक 20.01.2004 की भर्ती अधिसूचना के खंड 9 के तहत, उसे चयन समिति द्वारा दिए गए प्रारूप में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। खंड 9 में यह भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि यह पाया जाता है कि शपथ पत्र में तथ्यों को छुपाया गया है तो अभ्यर्थी का चयन रद्द होने के लिए दायी है। जैसा कि हलफनामे के पैरा 4, 5, 6 और 7 से देखा जा सकता है, सूचना (हालांकि कुछ हद तक दोहराव वाली) मांगी गई थी। यह अभ्यर्थी को किसी भी आपराधिक मामले का खुलासा करने के लिए बाध्य करता है जो उसके खिलाफ दर्ज किया गया था; अतीत में की गई कोई भी गिरफ्तारी, लंबित मामलों का विवरण और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बरी होने का विवरण भी मांगा गया था। यह भी एक निर्विवाद तथ्य है कि अपीलकर्ता ने इनमें से प्रत्येक प्रश्न के लिए 'नहीं' कहा। अपीलार्थी का स्पष्टीकरण है कि चूँकि उसे बरी कर दिया गया था, इसलिए वह ईमानदारी से मानता था कि वह केवल किसी लंबित कार्यवाही का विवरण देने के लिए बाध्य था।

19. राज्य ने यह स्थिति ली थी कि भर्ती अधिसूचना का खंड 9 और शपथ पत्र में प्रश्न काफी स्पष्ट थे और छिपाव होने के कारण रद्द करना पूरी तरह से उचित था।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

20. इस मुद्दे पर कानून का निपटारा **अवतार सिंह (सुप्रा)** मामले में इस अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया गया है। पैरा 34, 35, 36 और 38, जिनसे निष्कर्ष निकालता है, नीचे दिए गए हैं:-

“34. इसमें कोई संदेह नहीं है कि चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन उपयुक्तता का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है और नियोक्ता के पास यह स्वतंत्रता है कि वह पदधारी के पूर्ववृत्तों का विनिर्णीत करे, लेकिन अंतिम कार्रवाई सभी प्रासंगिक पहलुओं पर उचित विचार करने पर वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए।

35. "सारवान" जानकारी को दबाने का तात्पर्य यह है कि जो दबाया जा रहा है वह हर तकनीकी या तुच्छ मामले को "मायने" नहीं रखता है। नियोक्ता को अभ्यर्थिता रद्द करने या कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमों/निर्देशों, यदि कोई हो, पर उचित विचार करते हुए कार्य करना होगा। यद्यपि एक व्यक्ति जिसने सारवान जानकारी को दबा दिया है, वह नियुक्ति या सेवा में निरंतरता के लिए निरंकुश अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, लेकिन उससे मनमाने ढंग से व्यवहार नहीं करने का अधिकार है और मामलों के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्षता के साथ उचित तरीके से शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।

36. किस मानदंड को लागू किया जाना है, यह पद की प्रकृति पर निर्भर करता है, उच्च पद की सभी सेवाओं के लिए अधिक कठोर मानदंड शामिल होंगे, केवल वर्दीधारी सेवाओं के लिए ही नहीं। निचले पदों के लिए जो संवेदनशील नहीं हैं, कर्तव्यों की प्रकृति, उपयुक्तता पर छिपाव के प्रभाव पर संबंधित अधिकारियों को पद/कर्तव्यों/सेवाओं की प्रकृति पर विचार किया जाना चाहिए और विभिन्न पहलुओं पर उचित विचार करने पर शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

38. हमने विभिन्न निर्णयों को देखा है और जहां तक संभव हो उन्हें समझाने और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम अपने निष्कर्ष का सारांश इस प्रकार देते हैं:

38.1. एक अभ्यर्थी द्वारा नियोक्ता को दी गई जानकारी, चाहे वह सेवा में जाने से पहले हो या बाद में, दोषी ठहराए जाने, दोषमुक्ति किए जाने या गिरफ्तारी या किसी आपराधिक मामले के विचाराधीन होने के बारे में, सही होनी चाहिए और आवश्यक जानकारी का कोई दमन या गलत उल्लेख नहीं होना चाहिए।

38.2. गलत जानकारी देने के लिए सेवाओं की समाप्ति या अभ्यर्थिता को रद्द करने का आदेश पारित करते समय, नियोक्ता ऐसी जानकारी देते समय मामले की विशेष परिस्थितियों, यदि कोई हो, पर ध्यान दे सकता है।

38.3. नियोक्ता निर्णय लेते समय कर्मचारी पर लागू सरकारी आदेशों/निर्देशों/नियमों को ध्यान में रखेगा।

38.4. यदि किसी आपराधिक मामले में संलिप्त होने का छिपाव या झूठी जानकारी दी जाती है, जहां आवेदन/सत्यापन प्रपत्र भरने से पहले ही दोषसिद्धि या दोषमुक्ति दर्ज की जा चुकी है और ऐसा तथ्य

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

बाद में नियोक्ता के संज्ञान में आता है, तो मामले के लिए उपयुक्त निम्नलिखित में से कोई भी उपाय अपनाया जा सकता है:

38.4.1. तुच्छ प्रकृति के मामले में जिसमें दोषसिद्धि दर्ज की गई थी, जैसे कि कम उम्र में नारे लगाना या एक छोटे से अपराध के लिए जिसका खुलासा होने पर कोई पदधारी विचाराधीन पद के लिए अयोग्य नहीं होता, नियोक्ता अपने विवेकानुसार, तथ्य या झूठी जानकारी के इस तरह के छिपाव को नजरअंदाज कर सकता है।

38.4.2. जहां मामूली प्रकृति के मामले में दोषसिद्धि दर्ज की गई है, नियोक्ता कर्मचारी की अभ्यर्थिता को रद्द कर सकता है या उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है।

38.4.3. यदि तकनीकी आधार पर नैतिक अधमता या जघन्य/गंभीर प्रकृति के अपराध से जुड़े मामले में बरी होना पहले ही दर्ज किया जा चुका है और यह स्पष्ट दोषमुक्ति का मामला नहीं है, या उचित संदेह का लाभ दिया गया है, तो नियोक्ता पूर्ववृत्त के रूप में उपलब्ध सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार कर सकता है, और कर्मचारी के बने रहने के बारे में उचित निर्णय ले सकता है।

38.5. ऐसे मामले में जहां कर्मचारी ने एक समाप्त आपराधिक मामले की सच्चाई से घोषणा की है, नियोक्ता को अभी भी पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार है और अभ्यर्थी को नियुक्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

38.6. यदि तुच्छ प्रकृति के आपराधिक मामले के विचाराधीन होने के संबंध में चरित्र सत्यापन प्रपत्र में तथ्य को सच्चाई से घोषित किया गया है, तो नियोक्ता, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपने विवेक से, ऐसे मामले के निर्णय के अधीन अभ्यर्थी की नियुक्ति कर सकता है।

38.7. कई लंबित मामलों के संबंध में तथ्य को जानबूझकर दबाने के मामले में ऐसी झूठी जानकारी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगी और एक नियोक्ता अभ्यर्थिता को रद्द करने या सेवाओं को समाप्त करने के लिए उचित आदेश पारित कर सकता है क्योंकि एक व्यक्ति की नियुक्ति जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित थे, उचित नहीं हो सकता है।

38.8. यदि आपराधिक मामला लंबित था लेकिन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी को इसकी जानकारी नहीं थी, तो भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और नियुक्ति प्राधिकरण अपराध की गंभीरता पर विचार करने के बाद निर्णय लेगा।

38.9. यदि कर्मचारी की सेवा में पुष्टि हो जाती है, तो छिपाव या सत्यापन प्रपत्र में गलत जानकारी प्रस्तुत करने के आधार पर सेवा समाप्ति/निष्कासन या बर्खास्तगी का आदेश पारित करने से पहले विभागीय जांच करना आवश्यक होगा।

38.10. छिपाव या गलत जानकारी का निर्धारण करने के लिए प्रमाणन/सत्यापन प्रपत्र विशिष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। केवल ऐसी जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए जिसका विशेष

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक था। यदि ऐसी सूचना जो मांगी नहीं गई है, लेकिन प्रासंगिक है, नियोक्ता के ज्ञान में आ जाती है तो उपयुक्तता के प्रश्न पर विचार करते समय उस पर वस्तुनिष्ठ तरीके से विचार किया जा सकता है। हालाँकि, ऐसे मामलों में दमन/छिपाव या गलत जानकारी प्रस्तुत करने के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है क्योंकि इस तथ्य के बारे में पूछा भी नहीं गया था।

38.11. इससे पहले कि किसी व्यक्ति को सच्चाई छिपाने या झूठी जानकारी देने का दोषी ठहराया जाए, तथ्य का ज्ञान उसको अवश्य होना चाहिए।”

(प्रभाव वर्धित)

21. जैसा कि **अवतार सिंह (सुप्रा)** से स्पष्ट होगा, यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि हालांकि एक व्यक्ति जिसने सारवान जानकारी को छिपा लिया है, वह नियुक्ति के लिए निरंकुश अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, लेकिन उसके साथ मनमाने ढंग से व्यवहार नहीं करने का अधिकार है। अधिकार का प्रयोग निष्पक्षता और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उचित तरीके से किया जाना चाहिए। संक्षेप में, सभी प्रासंगिक पहलुओं पर उचित विचार करने के बाद अंतिम कार्रवाई वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए।

22. **अवतार सिंह (सुप्रा)** में **पुलिस आयुक्त एवं अन्य बनाम संदीप कुमार, (2011) 4 एससीसी 644** में दिए गए निर्णय पर भी गौर किया गया। **संदीप कुमार (सुप्रा)** में, इस अदालत ने **विक्टर ह्यूगो के उपन्यास लेस मिजरेबल्स** में "जीन वाल्जियन" चरित्र की कहानी को प्रस्तुत किया, जिसमें उस चरित्र को अपने भूखे परिवार के लिए रोटी चुराने के लिए चोर के रूप में चिह्नित किया गया था। इसमें **मॉरिस बनाम क्राउन ऑफिस, (1970) 2 क्यूबी 114** में लॉर्ड डेनिंग के क्लासिक फैसले पर भी चर्चा की गई और निष्कर्ष इस प्रकार दिया गया:—

“10... ..

हमारी राय में, हमें वही ज्ञान प्रदर्शित करना चाहिए जो लॉर्ड डेनिंग ने प्रदर्शित किया था।

11. जैसा कि पहले ही ऊपर देखा गया है, युवा अक्सर लापरवाही करते हैं, जिन्हें अक्सर माफ कर दिया जाता है।

12. यह सच है कि आवेदन पत्र में प्रत्यर्थी ने यह उल्लेख नहीं किया कि वह आईपीसी की धारा 325/34 के तहत एक आपराधिक मामले में शामिल था। संभवतः उन्होंने इस डर से इसका उल्लेख नहीं किया कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वे स्वतः ही अयोग्य हो जाएंगे। किसी भी स्थिति में, यह हत्या, डकैती या बलात्कार जैसा गंभीर अपराध नहीं था और इसलिए इस मामले में अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।”

इसके बाद, **अवतार सिंह (सुप्रा)** के मामले में **संदीप कुमार (सुप्रा)** से संबंधित मामले पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

“24... ..

इस अदालत ने कहा है कि छिपाव उस मामले से संबंधित है जब संदीप कुमार की उम्र लगभग 20 वर्ष थी। वह युवा था और ऐसी उम्र में लोग अक्सर लापरवाही करते हैं और इस तरह की लापरवाही को अक्सर माफ किया जा सकता है। आधुनिक दृष्टिकोण किसी व्यक्ति को जीवन भर अपराधी घोषित करने के बजाय उसे सुधारने का होना चाहिए। [मॉरिस बनाम क्राउन ऑफिस, (1970) 2 क्यूबी 114: (1970) 2 डब्ल्यूएलआर 792 (सीए)] में यह टिप्पणियाँ की गई थीं कि युवा लोग कोई साधारण अपराधी नहीं हैं। उनमें कोई हिंसा, बेईमानी या बुराई नहीं है। वे वेल्श भाषा को संरक्षित करने की कोशिश कर रहे थे। हालाँकि उन्होंने गलत किया है लेकिन हमें उन पर दया दिखानी चाहिए और उन्हें अपनी पढ़ाई, अपने माता-पिता के पास वापस जाने और अच्छे पाठ्यक्रम को जारी रखने की अनुमति दी गई।”

23. **राम कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य**, (2011) 14 एससीसी 709, एक अन्य वाद था जिसे **अवतार सिंह (सुप्रा)** में देखा गया और चर्चा की गयी, जो लगभग समान तथ्यों से उत्पन्न हुआ था और सत्यापन प्रपत्र में एक समान खंड की व्याख्या थी, इस न्यायालय ने राहत प्रदान करते हुए, निम्नानुसार निर्णय दिया:—

“9. हमने “सरकारी कर्मचारियों की उनकी प्रथम नियुक्ति से पूर्व चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन” विषय पर दिनांक 28-4-1958 के सरकारी आदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और सरकारी आदेश में कहा गया है कि राज्यपाल ने पिछले सभी आदेशों के स्थान पर निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:

“राज्य सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के चरित्र के बारे में नियम इस प्रकार बने रहेंगे:

प्रत्यक्ष नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह उस सेवा या पद में रोजगार के लिए हर तरह से उपयुक्त हो, जिसमें उसे नियुक्त किया जाना है। यह नियुक्ति प्राधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह इस मुद्दे पर खुद को संतुष्ट करे।

XXX XXX

12. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के दिनांक 18-7-2002 के आदेश को पढ़ने पर यह पता चलेगा कि अदालत के समक्ष परीक्षित किए गए एकमात्र गवाह, पीडब्लू 1, श्री अखिलेश कुमार ने अदालत के समक्ष गवाही दी थी कि 2-12-2000 को शाम 4 बजे बच्चे झगड़ रहे थे और उस समय अपीलकर्ता, शैलेंद्र और अजय कुमार अन्य पड़ोसियों के साथ वहाँ पहुँच गए थे और भीड़ में से किसी ने गाली – गलौज की और हाथापाई में अखिलेश कुमार घायल हो गया जब वह गिर गया और उसका सिर ईंट के चबूतरे से टकरा गया और आरोपी व्यक्तियों ने उसे किसी भी धारदार हथियार से नहीं पीटा। अपीलकर्ता के खिलाफ किसी अन्य गवाह की अनुपस्थिति में, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 323/34/504 के तहत आरोपों से बरी कर दिया। इन तथ्यों पर, नियुक्ति प्राधिकारी के लिए यह विचार रखना बिल्कुल भी संभव नहीं था कि अपीलकर्ता पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं था।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

13. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का दिनांक 18-7-2002 का आदेश जसवंत नगर पुलिस स्टेशन के दिनांक 15-1-2007 की रिपोर्ट के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को भेजा गया था, लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद के दिनांक 8-8-2007 के आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस सवाल में नहीं गए हैं कि क्या अपीलकर्ता सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त था या कांस्टेबल के पद के लिए जिसमें उसे नियुक्त किया गया था और उन्होंने केवल यह माना है कि अपीलार्थी का चयन अवैध और अनियमित था क्योंकि उसने सत्यापन सूची के प्रोफॉर्मा में अपने शपथ पत्र में प्रस्तुत नहीं किया था कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।

14. जैसा कि सरकारी आदेश दिनांक 28.4.1958 में दिए गए निर्देशों में कहा गया है, नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद का यह कर्तव्य था कि वे इस मुद्दे पर खुद को संतुष्ट करें कि क्या अपीलकर्ता छिपाव की प्रकृति और आपराधिक मामले की प्रकृति के संदर्भ में कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त था। यह विचार करने के बजाय कि क्या अपीलकर्ता पुरुष सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त था, नियुक्ति प्राधिकारी ने यांत्रिक रूप से माना है कि उसका चयन अनियमित और अवैध था क्योंकि अपीलकर्ता ने भर्ती के समय गलत तथ्यों को बताते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया था।

XXX XXX

17. उपरोक्त कारणों से, हम अपील को स्वीकार करते हैं, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश और खण्ड पीठ के आक्षेपित आदेश को रद्द करते हैं और अपीलकर्ता की रिट याचिका को स्वीकार करते हैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद के 8-8-2007 के आदेश को रद्द करते हैं। अपीलकर्ता को आज से दो महीने की अवधि के भीतर सेवा में वापस ले लिया जाएगा, लेकिन वह सेवा से बाहर रहने की अवधि के लिए किसी भी पिछले वेतन का हकदार नहीं होगा। लागत के लिए कोई आदेश नहीं होगा।”

राम कुमार (सुप्रा) भी सिपाही के पद पर चयन रद्द करने का मामला था।

24. हाल ही में **पवन कुमार बनाम भारत संघ और अन्य, (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 532** में, जो रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति और सत्यापन फॉर्म में कथित छिपाव के कारण बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने से संबंधित था, इस न्यायालय ने **अवतार सिंह (सुप्रा)** पर विचार करने के बाद निम्नानुसार माना:—

“11. इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने का इरादा रखने वाले अभ्यर्थी को हमेशा सेवा में शामिल होने से पहले और बाद में सत्यापन / प्रमाणन प्रपत्र में अपने चरित्र और पूर्ववृत्त से संबंधित सही जानकारी प्रस्तुत करनी होती है। यह भी उतना ही सच है कि जिस व्यक्ति ने सारवान जानकारी को दबा दिया है या झूठी घोषणा की है, उसे वास्तव में नियुक्ति या सेवा में निरंतरता की मांग करने का कोई निरंकुश अधिकार नहीं है, लेकिन कम से कम उससे मनमाने ढंग से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए और मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्षता के साथ सक्षम

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्राधिकारी द्वारा विवेकपूर्ण तरीके से शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पदधारी की उपयुक्तता का निर्णय करने के संबंध में जिस मानदंड/मानक को लागू किया जाना है, वह हमेशा पद की प्रकृति, कर्तव्यों की प्रकृति, उपयुक्तता पर छिपाव के प्रभाव पर निर्भर करता है, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विभिन्न पहलुओं पर उचित परिश्रम के आधार पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन इस संबंध में कोई कठोर और सीधा सरल नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

13. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित स्पष्टीकरण से जो सामने आता है वह यह है कि तथ्यों का छिपाव मात्र/झूठी जानकारी से, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि कोई दोषसिद्धि या दोषमुक्ति दर्ज की गई है, कर्मचारी/भर्ती किए गए व्यक्ति को स्वतः प्रमाण रूप में केवल एक कलम के प्रहार से सेवा से बर्खास्त / समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, किसी आपराधिक मामले से संबंधित महत्वपूर्ण/झूठी सूचना को दबाने के प्रभाव, यदि कोई हो, को नियोक्ता पर छोड़ दिया जाता है, ताकि वह पूर्ववर्ती के संबंध में उपलब्ध सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार कर सके तथा वस्तुनिष्ठ मानदंडों और प्रासंगिक सेवा नियमों को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारी की सेवा में निरंतरता/उपयुक्तता के संबंध में उचित निर्णय ले सके। इस न्यायालय द्वारा जो देखा जा रहा है वह यह है कि किसी दिए गए मामले में केवल सामग्री/झूठी जानकारी को दबाने का मतलब यह नहीं है कि नियोक्ता मनमाने ढंग से कर्मचारी को सेवा से उन्मोचित/बर्खास्त कर सकता है।

19. नतीजतन, अपील सफल हो जाती है और इसकी अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के दिनांक 17 नवंबर, 2015 के फैसले और दिनांक 24 अप्रैल, 2015 और दिनांक 23 दिसंबर, 2021 के बर्खास्तगी के आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है। प्रत्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि वे अपीलकर्ता को कांस्टेबल के पद पर सेवा में बहाल करें, जिस पर उन्हें रोजगार सूचना संख्या 1/2011 दिनांक 27 फरवरी, 2011 के संदर्भ में उनकी भागीदारी के अनुसरण में चुना गया था। हम यह स्पष्ट करते हैं कि अपीलकर्ता उस अवधि के लिए वेतन के बकाया का हकदार नहीं होगा जिसके दौरान उसने सेना में सेवा नहीं दी है और साथ ही वह वेतन, वरिष्ठता और अन्य परिणामी लाभों सहित सभी काल्पनिक लाभों का हकदार होगा। आज से एक महीने की अवधि के भीतर आवश्यक आदेश पारित किए जाएंगे। लागत के लिए कोई आदेश नहीं होगा।”

25. **मोहम्मद इमरान बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य**, (2019) 17 एससीसी 696 में, निस्संदेह, एक ऐसा मामला था जिसमें एक अभ्यर्थी ने आपराधिक मामले का खुलासा किया था, इस न्यायालय ने न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की ओर से बोलते हुए निम्नलिखित कथन किया जो रोजमर्रा की वास्तविकताओं के साथ प्रतिध्वनित होता है:

“5. हमारे देश में रोजगार के अवसर एक दुर्लभ वस्तु है। प्रत्येक विज्ञापन की सीमित संख्या में रिक्तियों के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आते हैं। लेकिन यह राहत देने के लिए सहानुभूति देने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है जहां अभ्यर्थी की साख योग्यता के बावजूद उपयुक्तता के बारे में गंभीर सवाल उठा सकती है। निस्संदेह, न्यायिक सेवा अन्य सेवाओं से बहुत अलग है और उपयुक्तता का पैमाना जो अन्य सेवाओं

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

पर लागू हो सकता है, न्यायिक सेवा के लिए समान नहीं हो सकता है। लेकिन न्यायिक सेवा में नियुक्ति से इंकार करने के लिए नैतिक अधमता का कोई यांत्रिक या आलंकारिक मंत्र नहीं हो सकता। बहुत कुछ मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। प्रत्येक व्यक्ति को सुधार करने, अतीत से सीखने और आत्म-सुधार द्वारा जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। सभी पहलुओं पर विचार किए बिना, पिछले आचरण को उम्मीदवार के गले में लटकाना हमेशा न्याय नहीं कहा जा सकता। हालाँकि, बहुत कुछ किसी मामले की तथ्य स्थिति पर निर्भर करेगा।”

26. हमने **सतीश चंद्र यादव बनाम भारत संघ और अन्य**, (2023) 7 एससीसी 530 में इस न्यायालय के हालिया फैसले और इस न्यायालय द्वारा पैरा 93, विशेष रूप से पैरा 93.1, 93.3 और 93.7 में निर्धारित व्यापक सिद्धांतों को भी ध्यान में रखा है। यहां तक कि उसमें निर्धारित व्यापक सिद्धांत भी मानते हैं कि प्रत्येक मामले की संबंधित लोक नियोक्ता द्वारा पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और न्यायालय यह जांच करने के लिए बाध्य है कि क्या संबंधित प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की प्रक्रिया निष्पक्ष और उचित थी। पैरा 38.2 में **अवतार सिंह (सुप्रा)** में अभिनिर्धारित किया गया है कि गलत सूचना देने के लिए अभ्यर्थिता को रद्द करने का आदेश पारित करते समय, नियोक्ता ऐसी जानकारी देते समय मामले की विशेष परिस्थितियों, यदि कोई हो, पर ध्यान दे सकता है। इसके अलावा, **अवतार सिंह (सुप्रा)** के पैरा 38.4.3 में यह सिद्धांत कि दोषमुक्ति या आपराधिक मामले में संलिप्तता की झूठी जानकारी के मामले में, जहां दोषमुक्ति पहले ही दर्ज की जा चुकी है, नियोक्ता अभी भी पूर्ववृत्त के रूप में उपलब्ध सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार कर सकता है और कर्मचारी के बने रहने के बारे में उचित निर्णय ले सकता है। हमने **सतीश चंद्र यादव (सुप्रा)** में निर्धारित व्यापक सिद्धांतों को अवतार सिंह (सुप्रा) में निम्नलिखित महत्वपूर्ण पैराग्राफ के साथ पढ़ा और समझा है:

“35. “सारवान” जानकारी को दबाने का तात्पर्य यह है कि जो दबाया जा रहा है वह हर तकनीकी या तुच्छ मामले को “मायने” नहीं रखता है। नियोक्ता को अभ्यर्थिता रद्द करने या कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमों/निर्देशों, यदि कोई हो, पर उचित विचार करते हुए कार्य करना होगा। यद्यपि एक व्यक्ति जिसने सारवान जानकारी को दबा दिया है, वह नियुक्ति या सेवा में निरंतरता के लिए निरंकुश अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, लेकिन उससे मनमाने ढंग से व्यवहार नहीं करने का अधिकार है और मामलों के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्षता के साथ उचित तरीके से शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।”

27. हमने पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु, मायलापुर बनाम जे. रघुनीस, (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 1379 में दिए गए फैसले की भी जांच की है और हम पाते हैं कि अपीलकर्ता का मामला पवन कुमार (सुप्रा), संदीप (सुप्रा) और राम कुमार (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले के तथ्यों से अधिक मेल खाता है। इसलिए, हम पाते हैं कि जे. रघुनीस (सुप्रा) में दिया गया फैसला स्पष्ट रूप से अलग है।

28. कार्यालय की प्रकृति, आपराधिक मामले का समय और प्रकृति; बरी किए जाने के फैसले पर समग्र विचार; आवेदन/सत्यापन प्रपत्र में पूछताछ की प्रकृति; चरित्र सत्यापन रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु; आवेदन करने वाले व्यक्ति का सामाजिक आर्थिक स्तर; अभ्यर्थी के अन्य पूर्ववृत्त; विचार की प्रकृति और रद्द करने/ सेवा समाप्त करने के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

आदेश के तथ्य कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जो उपयुक्तता का निर्णय लेने और आदेश दिए जाने वाले राहत की प्रकृति का निर्धारण करने में न्यायिक फैसले में दर्ज होने चाहिए।

29. उपरोक्त कानूनी स्थिति पर चर्चा करने के बाद, कुछ विशेष विशेषताओं को निर्धारित करना आवश्यक है जो वर्तमान मामले में प्राप्त होती हैं।

i. अपीलकर्ता छोटे से गाँव बागापर, पी. ओ. कटौरा, पुलिस स्टेशन गौरी बाजार, जिला देवरिया, उ.प्र. का रहने वाला है।

ii. आवेदन की तिथि पर, कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं था और आवेदन पत्र में कोई छिपाव नहीं था।

iii. यह आपराधिक मामला तब दर्ज किया गया था जब उनकी आयु 21 वर्ष थी तथा अपराध संदीप कुमार (सुप्रा) में उल्लिखित अपराध से काफी मिलते-जुलते थे तथा इस आपराधिक मामले में भी उन्हें बरी कर दिया गया था।

iv. इसमें कोई संदेह नहीं है कि सत्यापन शपथ पत्र में कई कॉलम, उनसे अलग-अलग क्रमपरिवर्तन और संयोजनों में प्रश्न पूछे गए थे। वह एक गहरी दुविधा में रहा होगा क्योंकि उसकी नौकरी जाने की संभावना थी।

v. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्वान अपर महाधिवक्ता द्वारा निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराए गए सत्यापन दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि आपराधिक मामले और उसके बाद बरी होने के बाद सत्यापन रिपोर्ट में कहा गया था कि उनका चरित्र अच्छा था, उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं पाई गई थी और उनकी सामान्य प्रतिष्ठा अच्छी थी।

vi. वहाँ नहीं रुकते हुए, घटनास्थल का दौरा करने वाले व्यक्ति ने रिपोर्ट में उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की।

vii. गौरी बाजार पुलिस स्टेशन के एसएचओ, जिन्होंने रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु को दोहराने के बाद पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट भेजी, ने पाया कि उन्हें बरी कर दिया गया था और कोई अपील दायर नहीं की गई थी। इसके अलावा, कोई अन्य मामला लंबित नहीं था और न ही अभ्यर्थी के खिलाफ कोई मामला दर्ज किया गया था।

viii. एसएचओ ने अभ्यर्थी के चरित्र को उत्कृष्ट के रूप में प्रमाणित किया और कहा कि वह राज्य सरकार के अधीन सरकारी सेवा करने के योग्य था। उन्होंने पुलिस थाने की रिपोर्ट के साथ-साथ ग्राम प्रधान की रिपोर्ट और अदालत के दस्तावेजों को संलग्न किया।

ix. पुलिस अधीक्षक ने कमांडेंट को लिखे अपने पत्र में रिपोर्ट का समर्थन किया और दोहराया कि अभ्यर्थी का चरित्र उत्कृष्ट था।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

x. यह जांच करते हुए कि क्या प्राधिकारी द्वारा जांच के लिए अपनाई गई प्रक्रिया निष्पक्ष और उचित थी, हम पाते हैं कि 12.04.2005 का रद्द करने का आदेश इस निर्णय के पहले भाग में निर्धारित चरित्र सत्यापन प्रपत्र के खंड 4 में निर्धारित आदेश का भी पालन नहीं करता है। जैसा कि **राम कुमार (सुप्रा)** में पाया गया था, अपीलकर्ता नियुक्ति के लिए उपयुक्त था या नहीं, इस पर विचार करने के बजाय नियुक्ति प्राधिकारी ने यंत्रवत् रूप से यह मान लिया कि उसका चयन अनियमित और अवैध था, क्योंकि अपीलकर्ता ने गलत तथ्यों के साथ एक हलफनामा प्रस्तुत किया था। इसलिए, **सतीश चंद्र यादव (सुप्रा)** के पैरा 93.7 में निर्धारित व्यापक सिद्धांतों को लागू करने पर भी, हम पाते हैं कि दिनांक 12.04.2005 का रद्द करने का आदेश न तो उचित है और न ही तर्कसंगत। भर्ती अधिसूचना के खंड 9 को ऊपर बताए गए मामलों में निर्धारित कानून के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।

30. मामले के तथ्यों पर और ऊपर दी गई विशेष परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में, दुर्भाग्यपूर्ण आपराधिक मामले का खुलासा न करना, (जिसमें बरी भी कर दिया गया), चीजों की योजना में कहां खड़ा/आता है? मामले के विशिष्ट तथ्यों पर हमारी राय में, हमें नहीं लगता कि इसे अपीलकर्ता के लिए घातक माना जा सकता है। हर गैर – प्रकटीकरण को अयोग्यता के रूप में व्यापक रूप से परिभाषित करना अन्यायपूर्ण होगा और यह इस महान, विशाल और विविधतापूर्ण देश में मौजूद जमीनी हकीकतों से पूरी तरह से अनजान होने के समान होगा। प्रत्येक मामला उसमें मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और न्यायालय को उपलब्ध पूर्व –निर्णयों को मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करते हुए, वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। यह कभी भी हर परिस्थिति में एक जैसा नहीं हो सकता है।

राहत:

31. ऊपर बताए गए कारणों से, अपील को अनुमति दी जाती है और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश और विशेष अपील संख्या 896/2005 में दिनांक 29.10.2010 के खण्ड पीठ के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। तीसरे प्रत्यर्थी, कमांडेंट 27 वीं बटालियन, पीएसी, सीतापुर के 12.04.2005 के आदेश को रद्द किया जाता है और अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि वे अपीलकर्ता को कांस्टेबल के पद पर सेवा में नियुक्त करें, जिसके लिए वह दिनांक 20.01.2004 की भर्ती अधिसूचना के संदर्भ में भाग लेकर चयनित हुआ था। हम यह स्पष्ट करते हैं कि अपीलकर्ता उस अवधि के लिए वेतन के बकाया के लिए हकदार नहीं होगा जिसके दौरान उसने सेना में सेवा नहीं दी है। साथ ही, हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता वेतन, वरिष्ठता और अन्य परिणामी लाभों सहित सभी काल्पनिक लाभों का हकदार होगा। आवश्यक आदेश आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर पारित किए जाएंगे। लागत के लिए कोई आदेश नहीं होगा।

हेडनोट तैयारकर्ता: अंकित ज्ञान

मामले का परिणाम:

अपील को अनुमति दी गई।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।